

प्रेषक,

दिनेश राय
फ्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में,

- ✓ १- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रा प्रबोध परीक्षा प्रभाग, लखनऊ।
२- सचिव, संयुक्त प्रबोध परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग - ।

लखनऊ: दिनांक: २३ मई, २००२

विषय: प्रदेश के डिग्री स्वं डिप्लोमा अभियंत्रा संस्थाओं में प्रबोध हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े चर्चा के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कठोरों का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण पर प्रत्यक्ष समस्त शासनादेशों को अतिरिक्त करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षा राष्ट्र-२००२-२००३ से प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रधानाधीन समस्त राज्यों एवं स्वायत्तशासी डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय शिक्षा संस्थानों में प्रबोध हेतु जारक्षण की निम्नलिखित दो विधि दिये जाने वाली स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

१. स. जिसके तिर जारक्षित हैं जारक्षण का प्रतिशत
- ०१- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रबोध सीटों का २। प्रतिशत
 - ०२- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रबोध सीटों का २। प्रतिशत
 - ०३- नागरिकों के अन्य पिछड़े चर्चा के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रबोध सीटों का २७। प्रतिशत
 - २- उक्त उत्तराधिकार नियांकित ब्रेंडों के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरण-कुलार क्षेत्र प्रदान किया जायेगा :-

N.Varma

16.6.02

—2—

- अ० 1 स्वतंक्रता संग्राम सेनानियों के जारीतों के लिए
अ० 2 उ०प्र० के सेवानिवृत्त अधवा अवयं
रक्षा कर्तियों अधवा युद्ध में यारे
गये रक्षा कर्तियों अधवा उ०प्र०
में तैनात् रक्षा कर्तियों के पुत्र-
पुत्रियों लो।
- अ० 3 शारीरिक रूप से निःशक्त जनों
के लिए

प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश
सीटों का अधिकृतम् 2 प्रतिशत
प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश
सीटों का अधिकृतम् 5 प्रतिशत

प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश
सीटों का अधिकृतम् 3 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक क्रितिज आरक्षण ब्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को
अनुचित जाति/अनुचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य ब्रेणियों में से
उसी ब्रेणी में रखा जायेगा, जिसे वह संभित है। उदाहरण के लिए यदि
स्वतंक्रता संग्राम सेनानियों के जारीतों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित
कोई अभ्यर्थी अनुचित जाति का है तो उसे अनुचित जाति के लिए आरक्षित
सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/मतपर
सेनियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी
यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों
में समायोजित किया जायेगा।

3- लैण्ड अनुचित-1 में नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के उल्लिखित अभ्य-
र्थियों को ही प्रस्तार-1 लैण्ड-3 पर उल्लिखित 27x आरक्षण की दूरिधा
अनुमत्या होगी, परंतु उक्त जातियों के अनुचित-2 में उल्लिखित ब्रेणियों के नाग-
रियों के पुत्र सर्व पुत्रियों को ४८ आरक्षण दूरिधा अनुमत्या नहीं होगी।

4- यदि अनुचित जाति, अनुचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग
का कोई अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में, ऐरिट के आधार पर, सामान्य
अभ्यर्थीगण के साथ चयनित होता है तो उसे उपर्युक्त आरक्षित ब्रेणी के लिए
आरक्षित सीटों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

5- प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वप्रथम खुली
प्रतियोगिता लैण्डान्य ब्रेणी ५० प्रतिशत सीटों को भरने के लिए ऐरिट
लिस्ट के आधार पर वांछित संख्या में सामान्य ब्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों
को भरा जायेगा। उसके उपरान्त अनुचित जाति/अनुचित जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने बनायी गयी लेटिट पूर्णी के लिए, इनमें से प्रत्येक
के लिए वांछित संख्या, ये उस ब्रेणी के अभ्यर्थियों ने सीटों को भरा जायेगा।
उसके उपरान्त यह देखा जायेगा कि क्रितिज आरक्षण वाले वर्ग के लिए अभ्यर्थीगण

इस ढंग से तैयार चयन सूची के आधार पर चयनित हो चुके हैं यदि कैतिज आरक्षण के लिस निर्धारित कोटे के अध्यर्थीगण उपर्युक्त आधार पर चयनित हो चुके हों तो उनके लिस में विभिन्न उत्पन्न नहीं होगा। यदि कैतिज आरक्षण के विभिन्न कोटा में वर्तीकृत संखया में अध्यर्थीगण चयनित न हुये हों तो कैतिज आरक्षण वाले प्रत्येक वर्ग के अध्यर्थीगण जो मेरिट सूची के आधार पर, उसी ढंग से समायोजित किया जायेगा ऐसा कि इस शासनादेश के प्रस्तर-2 में निर्दिष्ट है। कैतिज आरक्षण के अध्यर्थी जिन वर्ग हों हों उतनी संखयामें उसी वर्ग के अध्यर्थियों को उनकी मेरिट सूची से निकालते हुए कैतिज आरक्षण वाले उस वर्ग के अध्यर्थी को उसी वर्ग की चयन सूची में प्रतिस्थापित/समायोजित कर दिया जायेगा। अर्थात् यदि/कैतिज आरक्षण वा उपर्युक्त ढंग से चयनित अध्यर्थी अनारक्षित रूपान्वय वर्ग का हो तो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची के अंतिम अध्यर्थी को उसी सूची में से निकालते हुए उसके स्थान पर कैतिज आरक्षण के आधार पर चयनित उस अध्यर्थी को उपर्युक्त सूची में प्रतिस्थापित किया जायेगा। कैतिज आरक्षण वाले अध्यर्थी के अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने पर उपर्युक्त प्रशिक्षण अपनायी जायेगी।

6- यदि अनुसूचित जातियाँ के उपर्युक्त अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त स्थान को अनुसूचित जाति के अध्यर्थियों से भरा जायेगा।

7- यदि प्रवेश हेतु संघित शीक्षिक सत्र में घोषित अंतिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पदाप्ति अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त घोषित अंतिम तिथि से 15 दिन ली अवधि के पश्चात् उन्हें सामान्य श्रेणी के अध्यर्थियों के मेरिट के आधार पर भरा जासकता है। इस 15 दिन ली अवधि के मध्य यदि आरक्षित श्रेणियों के अध्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तो आरक्षित स्थान उनसे हो भरे जायेगी।

लंगनःयथोपरि।

मददीय,

८०

१ दिनेश राय
प्रदुष सचिव।

लंगन-1371/2002-लौह-1-2002, हुड्डेनाम।

प्रतिलिपि निम्नलिखित रूप सूचनार्थ एवं जावशयक कार्यवाही
हेतु देवितः—

- ११४ समस्त डिग्री स्तरीय अभियंकण संस्थानों के निदेशक/प्राधार्य।
१२५ समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य, उत्तर
प्रदेश के, उत्तरत पालीटेक्निक संस्थान।
१३६ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, कानपुर।
१४७ प्राविधिक शिक्षा अनुबाग-2/3
आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

१५८ जितेन्द्र राम त्रिपाठी
अनुज्ञिव।